

NOTE FOR JUSTIFICATION

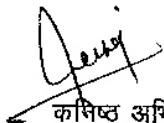
परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 4.000 कि०मी० (स्वीकृत लम्बाई 6.000 कि०मी०)

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 764/III (2)/08 दिनांक 24.03.2008 द्वारा लम्बाई 6.000 कि०मी० लागत रु० 120.00 लाख की प्राप्त हुई है। (शासनादेश की छाया प्रति संलग्न है) यह मोटर मार्ग मैठाणाघाट- बवांसा- ग्वीन रसियामहदेव के कि०मी० 4.000 से आरम्भ होकर प्रथम कि०मी० में ग्राम ग्वीन व कि०मी० 4.000 में ग्राम डांडा ग्वीन को मोटर मार्ग से जोड़ेगा जिनकी आबादी क्रमशः 283 एवं 85 है। इस प्रकार कुल 368 की जनसंख्या लाभान्वित होगी ग्राम डांडा ग्वीन अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। वर्तमान में ग्राम डांडा ग्वीन की निकटतम मोटर मार्ग (मैठाणाघाट- बवांसा- ग्वीन रसियामहदेव) से पैदल दूरी 3.000 कि०मी० है। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। मोटर मार्ग निर्माण से घरेलू महिलाओं का समय बचेगा जिससे वे अपने बच्चों का पालन पोषण में पूरा समय देगी जिससे कुपोषण की समस्या कम होगी गांव से चिकित्सा हेतु चिकित्सालय तथा शिक्षा हेतु विद्यालयों तक आने - जाने की सुविधा होगी, तथा मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासीयों को अपने बंजर नापखेतों में अधुनिक तरीके से फलदार पेड़ों की बागवानी इत्यादि करने में सहायता मिलेगी ग्रामवासियों द्वारा अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वर्तमान में इस क्षेत्र के ग्रामों में रोजगार की सुविधा न होने के कारण 70 प्रतिशत वृद्ध जन निवास करते हैं। जिन्हें पर्वतीय पैदल रास्तों से होकर 3.000 कि०मी० तक की दूरी जीविका पार्जन चिकित्सा एवं पठन पाठन हेतु बाजार तक आना जाना होता है। इसके अलावा यह क्षेत्र सुविख्यात दीवा मन्दिर एवं गुजड़ू गढ़ी के समीप होने व रमणीक पर्वतीय स्थल होने के कारण इस क्षेत्र में मोटर मार्ग निर्माण किये जाने से पर्यटन विकास की पूर्ण सम्भावना है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त 02 समरेखणों पर विचार किया गया है। नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया संरेखण (नं० 1) ग्राम - ग्वीन व डांडाग्वीन को मोटर मार्ग से जोड़ेगा। मोटर मार्ग निर्माण किये जाने हेतु चुने गये इस समरेखण में 4.000 कि०मी० लम्बाई में 5 हैयर पिन बैंड हैं। इस समरेखण का अधिकांश भाग नाप भूमि से गुजरता है, जिस हेतु ग्रामवासियों द्वारा सहमति दी गई है। इस समरेखण में टैरेन कास स्लोब 25° से 60° तक है तथा तकनीकी दृष्टि से यह समरेखण उपयुक्त पाया गया है। इस संरेखण में मोटर मार्ग के निर्माण में वन पंचयात भूमि का प्रयोग नहीं किया जाना है। मोटर मार्ग के निर्माण में आरक्षित वन भूमि 0.882 है०, सिविल वन भूमि 0.108 है०, अर्थात् कुल 0.990 है० वन भूमि प्रयुक्त की जानी है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं नाप भूमि 2.610 है० प्रयुक्त की जानी है। प्रस्तावित संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण से आरक्षित वन भूमि में चीड़ प्रजाति के 14 पेड़, नाप भूमि में विभिन्न प्रजाति के 28 पेड़ एवं सिविल भूमि में विभिन्न प्रजाति के मात्र 18 पेड़ इस प्रकार कुल 60 पेड़ प्रभावित हो रहे हैं जो न्यूनतम है। समरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है। नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया समरेखण वैकल्पिक निरस्त समरेखण है। क्योंकि इस समरेखण में मार्ग का ग्रेड अधिक होने के कारण तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं है एवं मार्ग की लम्बाई भी अधिक होने के कारण वन भूमि एवं पातन किये जाने वाले पेड़ों की संख्या अधिक है। उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० 02 को निरस्त कर उक्त समरेखण नं० 01 को अनुमोदित किया गया है।

वनभूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।



कमिश्नर अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)



अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)